



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 07.05.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस एवं एसओजी बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 155/2024 धारा 302/120बी/34 भादवि में वांछित चल रहे 25,000 रुपये के ईनामी 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था) में किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा व 03 खोखा कारतूस .315 बोर तथा 01 मोटरसाईकिल हीरो स्प्लैण्डर नं0 UP14 DU-1537 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.02.2024 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी मुरसलीम उर्फ काला पुत्र जगवीर निवासी निरोजपुर गुर्जर थाना कोतवाली बागपत ने सूचना दी कि मोटर साईकिल सवार 03 अज्ञात अभियुक्तों ने उसके ताऊ के लडके युसूफ प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 155/24 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस एवं एसओजी बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 155/2024 धारा 302/120बी/34 भादवि में वांछित चल रहे 25,000 रुपये के ईनामी 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था) में गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा व 03 खोखा कारतूस .315 बोर व 01 मोटरसाईकिल हीरो स्प्लैण्डर बरामद नं0 UP14 DU-1537 हुई है।

नोट- उपरोक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 रुपये का ईनाम घोषित किया हुआ था।

उक्त अभियोग में अभियुक्तों 1- नीरज उर्फ जोनी पुत्र वीरसैन निवासी ग्राम निरोजपुर गुर्जर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत, 2- निशान्त उर्फ नीशू पुत्र बिजेन्द्र निवासी तिलकराम कालोनी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद, 3- विकास पुत्र प्रमोद निवासी कबूलनगर कालोनी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद व 4- सोनू उर्फ संदीप पुत्र किरणपाल उर्फ किरनू निवासी ग्राम निरोजपुर गुर्जर थाना बागपत जनपद बागपत को दिनांक 12-03-2024 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अनुज पुत्र मैनपाल सिंह निवासी राहुल गार्डन लाईन पार बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम देवपुरा थाना थानाभवन जनपद शामिल।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा व 03 खोखा कारतूस .315 बोर ।
- 01 मोटरसाईकिल हीरो स्प्लैण्डर नं0 UP14DU-1537

गिरफ्तार अभियुक्त अनुज का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 473/19 धारा 302/323/504 भादवि थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद ।

2-मु0अ0सं0 478/19 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद ।

3-मु0अ0सं0 155/2024 धारा 302/120बी/34 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-प्र0नि0 श्री राकेश कुमार शर्मा थाना कोतवाली बागपत ।

2-निरी0 श्री रविन्द्र सिंह पलावत प्रभारी एसओजी बागपत ।

3-उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत ।

4-उ0नि0 श्री गिरीराज शर्मा थाना कोतवाली बागपत ।

5-उ0नि0 श्री कृपेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत ।

6-है0का0 214 उमेश थाना कोतवाली बागपत ।

7-है0का0 489 सुनील एसओजी बागपत ।

8-का0 1120 धीरज थाना कोतवाली बागपत ।

7-का0 25 राजीव चौधरी एसओजी बागपत ।



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 07.05.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

विकास पुत्र ब्रह्म सिंह निवासी ग्राम गौना थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री युद्धवीर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

2-है0का0 289 सतेन्द्र सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।